



2026:AHC:17934

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 270/2026

इंद्र बहादुर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 68 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अच्छे लाल तिवारी, दीपक कुमार त्रिपाठी,
केशरी कुमार तिवारी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा सूची पर रखे अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:

"1) परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह आदेश और निदेश दिया जाए कि वह संदर्भ संख्या 80/वाद संख्या 0799/2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 202554147000000799) (लल्लन सिंह बनाम हरिकृष्ण एवं अन्य), चकबंदी जोत अधिनियम की धारा 48(3) के अंतर्गत, जो उप निदेशक चकबंदी अधिकारी, वाराणसी के न्यायालय में लंबित है, का विनिश्चय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयबद्ध अवधि के भीतर करे।"

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि संदर्भ कार्यवाही काफी लंबे समय से विचाराधीन लंबित है; तथापि, उसे शीघ्र विनिश्चित कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु निदेश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः इस न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, उप निदेशक चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए कि वे, यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो तो, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः पाँच माह की अवधि के भीतर उक्त मामले का विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णय करें।

6. उपरोक्त निदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

27 जनवरी, 2026

विनय